(77)

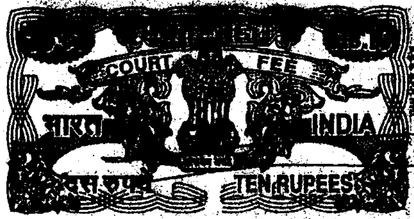

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक I/2016 R निग-2859-I-16

वीरेन्द्र कुमार दीक्षित आत्मज श्री प्रभूदयाल दीक्षित आयु 52 वर्ष निवासी दीक्षित मुहल्ला टीकमगढ़ म.प्र.

:-पुनरीक्षणकर्ता

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 26-8-016 को प्रस्तुत

क्लर्क [illegible] 26-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[illegible]

बनाम

1.लक्ष्मीचन्द्र जैन तनय दौलतचन्द्र जैन निवासी वार्ड नं.9 जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

2.नगर पालिका परिषद जतारा द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

3.अध्यक्ष नगर परिषद जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

:-उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 331 म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 प्रतिकूल आदेश दिनांक 04.08.2016 प्रक.कं. 184/अपील/2015-16 [illegible] विद्वान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र.

महोदय,

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रकार विनयी है :-

1- यह कि अधिसूचना क्रमांक [illegible] 83 [illegible] दिनांक 27.04.66 के अनुसार जो कि राजपत्र में [illegible] 1966 को प्रकाशित की गई है रा[illegible] परिषद को प्रत्यायोजित की गई है और इस[illegible] श्रीमान बोर्ड के समक्ष प्रचलन योग्य है इस सम्बंध में मुहम्मद इकबाल बनाम मुहम्मद शरीग शईन 2006 राजस्व निर्णय 65

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2859–एक/16 जिला–टीकमगढ

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ म0 प्र0 का प्रकरण क्रमांक 184/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4.8.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 331 म0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता को दिनांक 5.9.16 को आदेशित किया गया था कि प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य है अथवा नहीं, इस हेतु अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये थे। अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित। 3– अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित होकर प्रकरण की प्रचलन योग्यता के संबंध में साईटेशन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र के साथ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 331 की फोटो प्रति प्रस्तुत की, नगर पालिका अधिनियम 1961 में निगरानी का सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं होने	

के कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

3– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के देखने से स्पष्ट है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 331 के तहस सुनवाई का क्षैत्राधिकार राज्य सरकार, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर को है। इस न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य